भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

OFFICE OF TREASURY GHAZIABAD

27 AUG 20

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 008282

4. यह कि हम विक्रेतागण को वास्ते तरक्कीएवं अन्य निजी आवश्यकता हेतु पैसों की आवश्यकता है तथा हमें अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता कम्पनी से मिल रही है। अतः हम विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त अधिकारी मालिकाना, काबिजाना, दाखिली–खारिजी, काश्त भराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी अधिकार हम विक्रेतागण को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि

SHYAMVEER SINGH ADVOCATE

7

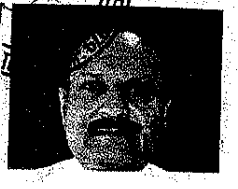

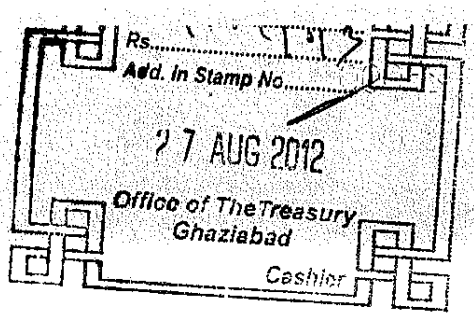

Rs.
Add. In Stamp No.
27 AUG 2012
Office of The Treasury
Ghaziabad
Cashier

रजिस्ट्रार प्रथम गाजियाबाद
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश

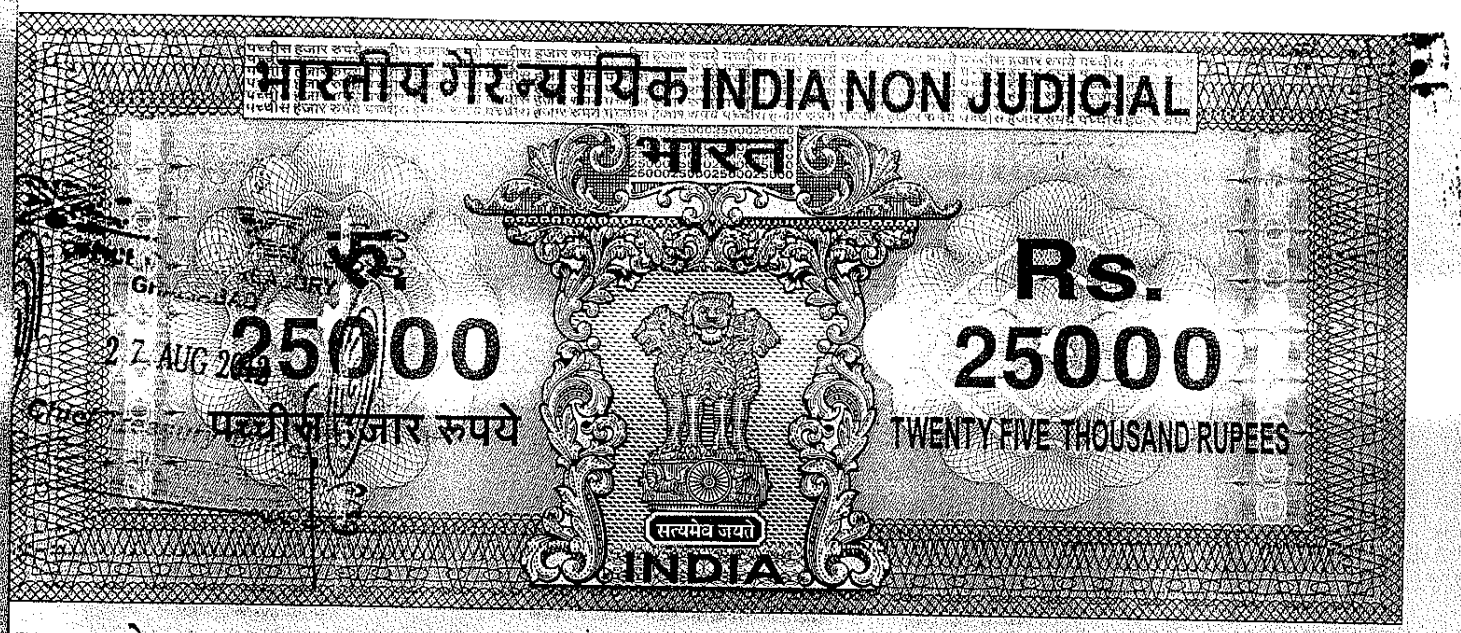

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 008281

को आज की तारीख में विक्रय धनराशी **अंकन 57,63,480/-** रूपये **(सत्तावन लाख तरेसठ हजार चार सौ अस्सी रूपये मात्र)** होते है के एवंज में बहाथ द्वितीयपक्ष क्रेता उपरोक्त **मैसर्स अग्रवाल एसोसिएट्स (प्रमोटर्स) लि0** पंजीकृत कार्यालय 10 न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली–110092 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी **कमालुद्दीन खान** पुत्र मौ0 शाहेदीन खान, 10 न्यू राजधानी एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली–110092, को बैय कर दिया है यानि कताई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशि हम विक्रेतागण ने क्रेता कम्पनी से प्राप्त कर ली है। अब कुछ भी विक्रय धनराशि बाकी नही रही है।

Add. in Stamp No.

27 AUG 2012

Office of The Treasury
Ghaziabad
Cashier

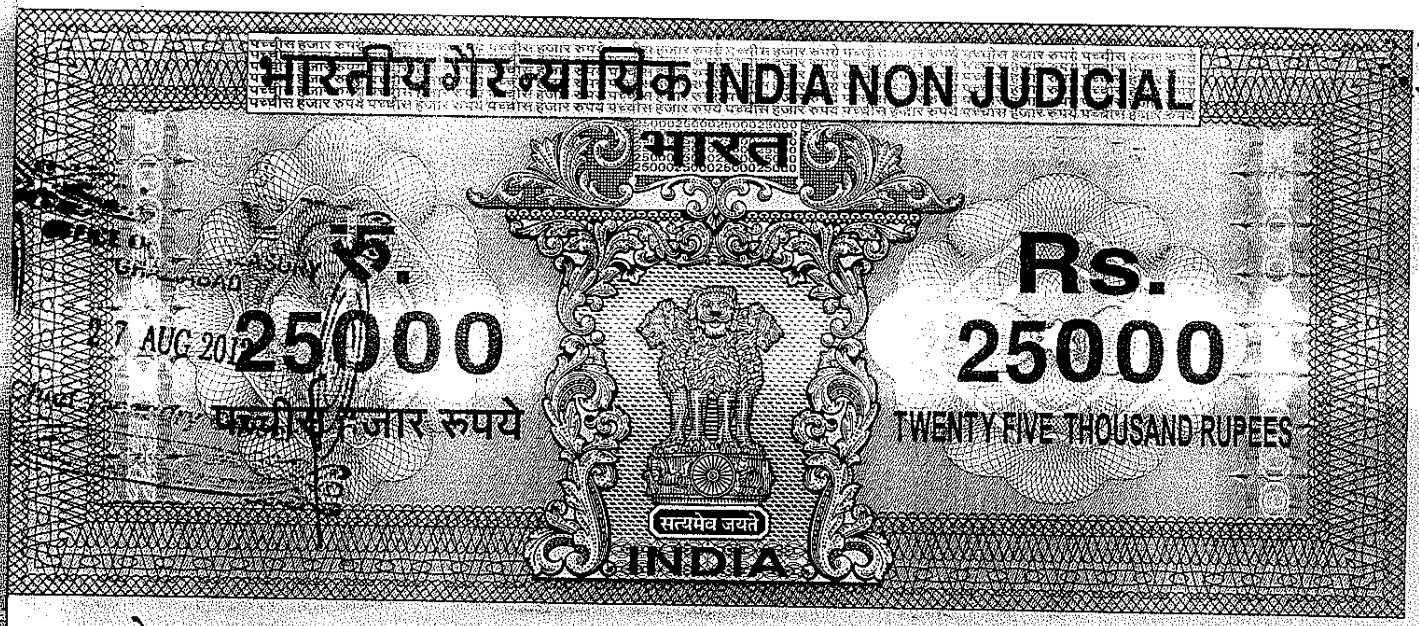

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

27 AUG 2012

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 008280

5. उक्त खसरा नं0 2373 के लिए जो रास्ता विक्रय विलेख संख्या नं0 3542 जिल्द संख्या– 7447 बही संख्या– 1 पृष्ठ संख्या 141 से 240 दिनांक 20/06/2008 के संलग्न मानचित्र में दर्शाया गया है। उसके समस्त अधिकार विक्रेतागण ने क्रेता कम्पनी को दे दिये हैं। अतः अब विक्रेतागण का या उसके वारिसान का खसरा नं0 2373 व उसके लिए रास्ते के खसरा नं0 2365 व 2367 के किसी भी हिस्से पर कोई भी हक बाकी नहीं रह गया है। विक्रेतागण नें रास्ता सहित खसरा नं0 2373 के सम्पूर्ण हिस्से का कब्जा क्रेता को स्थल पर दे दिया गया है। विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता को पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग में लावें।

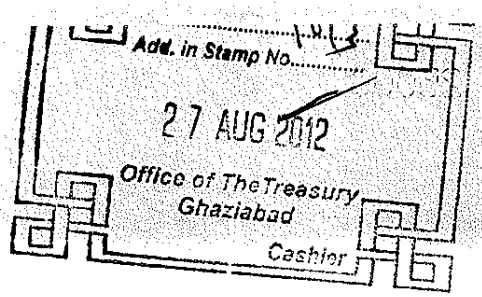

Add. in Stamp No.

27 AUG 2012

Office of The Treasury
Ghaziabad

Cashier

उप रजिस्ट्रार प्रथम गाजियाबाद

* उत्तर प्रदेश *